

विशेष सूचना

हिलसा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में टोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत घर-घर प्रभार के लिए शुल्क एवं दण्ड संशोधित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में हिलसा नगर परिषद में टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क बिहार सरकार द्वारा निम्न रूपेण निर्धारित किये गये है। सभी होल्डिंगधारी निम्नांकित (कंडिका 'क') दर से उपभोक्ता शुल्क जनवरी 2022 के प्रभाव से अदा करेंगे।

कंडिका-(क)

| | उपभोक्ता की श्रेणी | न्यूनतम मासिक भूल्क |
|-----|--|---------------------|
| (क) | आवासीय | |
| i | आवासीय घर | 25 रुपये/- |
| (ख) | गैर आवासीय | |
| i | दुकान, खानपान के स्थान (दुबा/मिठाई की दुकान/कॉफी हाउस इत्यादि) | 75 रुपये/- |
| ii | रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल | 250 रुपये/- |
| iii | सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल | 5000 रुपये/- |
| iv | व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान | 250 रुपये/- |
| (ग) | स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो-मेडिकल वेस्टे) | |
| i | क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज | 150 रुपये/- |
| ii | अस्पताल (50 शय्या तक) | 1200 रुपये/- |
| iii | अस्पताल (50 शय्या से अधिक) | 2000 रुपये/- |
| (घ) | अन्य | |
| i | लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन | 300 रुपये/- |
| ii | गेदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट | 750 रुपये/- |
| iii | शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला | 1500 रुपये/- |

नोट- सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर निम्नवत जुर्माना देया होगा :-

- आवासीय मकानो से- रुपये 100 प्रति घटना।
- भवन निर्माण सामग्री/मलवा सड़क किनारे रखने पर- रुपया 1000 प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय।
- जुर्माना नहीं जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त व्याज वसूलनीय होगा।
- सभी प्रभार/शुल्क/दण्ड सम्पत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।
- घासिक स्थलो के लिए उपरोक्त कंडिका 'क' में उल्लेखित दर शून्य है।

PR- 6651 (Ni Ni) 2022-23

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

नगर परिषद, हिलसा।